



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239965  
CG-DL-E-01112022-239965

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4  
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944

No. 18]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

**का.नि.आ. 18 (अ).**—छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों के साथ प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड-4 में का.नि.आ. 10 (अ) तारीख 24 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था जो छावनी अधिनियम, 2006 (वर्ष 2006 का 41) की धारा 346 द्वारा यथाअपेक्षित है जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनको इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उनको उस तारीख से जब उक्त अधिसूचना सहित शासकीय राजपत्र की प्रतियां प्रकाशित की गई थीं को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराया गया था जिसमें तीस दिवसों की अवधि समाप्त होने से पहले आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 18 जुलाई, 2022 को सार्वजनिक रूप में उपलब्ध कराई गई थीं।

और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आम जनता से प्राप्त हुई आपत्तियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

अतः अब, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 346 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021, में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छावनी भूमि प्रशासन (संशोधन) नियमावली, 2022 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021 में, नियम 39 के बाद, निम्नलिखित नियम सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात : -  
 “39क. श्रेणी ख-3 भूमि को फ्रीहोल्ड में परिवर्तन करने संबंधी अधिकार. - केन्द्रीय सरकार कभी भी श्रेणी ख-3 भूमि के मौजूदा अधिकारों को फ्रीहोल्ड करने के संबंध में नीति तैयार कर सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।”

**टिप्पण :** छावनी भूमि प्रशासन नियम, 2021, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II खंड 4 में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 24 (अ) तारीख 01 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 13011/02/2022/रक्षा (भूमि)]

राकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2022

**S.R.O. 18(E).**—Whereas the draft containing certain rules to amend the Cantonment Land Administration Rules, 2021 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, vide S.R.O. 10 (E), dated the 24<sup>th</sup> June, 2022, as required by section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006) inviting objections and suggestions from all the persons likely to be affected thereby, before the expiry of period thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was published were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Official Gazette were made available to the public on dated the 18<sup>th</sup> July, 2022;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 346 of the Cantonments Act, 2006 (41 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Cantonment Land Administration Rules, 2021, namely:-

1. (1) These rules may be called the Cantonment Land Administration (Amendment) Rules, 2022.  
 (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Cantonment Land Administration Rules, 2021, after rule 39, the following rule shall be inserted, namely:-

“39A. Conversion of rights on class B-3 land into freehold.- The Central Government may any time formulate or amend a policy to convert existing rights on class B-3 land into freehold.”.

**Note :** The Cantonment Land Administration Rules, 2021 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 4, vide notification number S.R.O. 24(E), dated the 1<sup>st</sup> December, 2021.

[F. No. 13011/02/2022/D(Lands)]

RAKESH MITTAL, Jt. Secy.